न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00050 (28/2020) **दायरा दिनांक : 13.07.2020**

उनवान

शिवचरण पुत्र श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासीगण खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान) .... अपीलांट

बनाम

1. दुष्यन्त कुमार पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी कोटा
2. पूर्णिमा पुत्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
3. नीतू पुत्री सत्यनारायण पत्नि हरिओम, जाति ब्राह्मण, निवासी श्योपुर मध्य प्रदेश
4. डोली बाई पुत्री सत्यनारायण पत्नि राजेन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी ठिकीरया, तहसील बून्दी, जिला बून्दी
5. प्रवीणा बाई पत्नि सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी कोटा ..... मृतक
6. घीसी बाई पुत्री मदनलाल पत्नि चन्द्रप्रकाश, जाति ब्राह्मण, निवासी नान्ता, कोटा
7. गीता बाई पुत्री मदनलाल पत्नि गिरिराज, जाति ब्राह्मण, निवासी देवली अरब हाल सकतपुरा, कोटा
8. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी दादाबाड़ी छोटा चौराहा, कोटा
9. गोपाल पुत्र कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी पाटनपोल, कोटा
10. नन्द बाई बेवा कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी पाटनपोल कोटा ..... मृतक
11. अनुसुईया बाई पुत्री श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
12. संतोष बाई पुत्री श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
13. ऊषा बाई पुत्री श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
14. सरला उर्फ गुड्डी बाई पुत्री श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
15. ललताबाई बेवा श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान). .... मृतक

    15/1. सुधाबाई पुत्री श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2020/00051 (29/2020) **दायरा दिनांक : 13.07.2020**

उनवान

1. शिवचरण
2. अनुसूईया बाई
3. संतोष बाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4. ऊषा बाई
5. सुधा बाई
6. गुड्डी बाई

पिसरान श्रीनाथ, जाति ब्राह्मण, निवासीगण खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान) .... अपीलांट

बनाम

1. दुष्यन्त कुमार पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी कोटा
2. प्रवीणा बाई पत्नि सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी कोटा ..... मृतक
3. दोली बाई पुत्री सत्यनारायण पत्नि राजेन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी ठिकीरया, तहसील बून्दी, जिला बून्दी
4. नीतू पुत्री सत्यनारायण पत्नि हरिओम, जाति ब्राह्मण, निवासी श्योपुर मध्य प्रदेश
5. घीसी बाई पुत्री मदनलाल पत्नि चन्द्रप्रकाश, जाति ब्राह्मण, निवासी नान्ता, कोटा
6. गीता बाई पुत्री मदनलाल पत्नि गिरिराज, जाति ब्राह्मण, निवासी देवली अरब हाल बोरखेड़ा, कोटा
7. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी दादाबाड़ी छोटा चौराहा, कोटा
8. नन्द बाई बेवा कल्याण, जाति ब्राह्मण, निवासी पाटनपोल कोटा ..... मृतक
9. अरबाज खान पुत्र अमानतुल्ला, जाति मुसलमान, निवासी चांदखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
10. पूर्णिमा पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर जिला झालावाड
11. स्टेंट ऑफ राजस्थान ,जर्ये तहसीलदार खानपुर .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 6 शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.06.2025**

1– ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2– ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 685/दावा/2018 व 779/दावा/2017 निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 03.02.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3– दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर के माल की नयी खाता संख्या 399 की खसरा नम्बर 375 रकबा 0.04 बीघा गेर मु. चाह, खसरा नम्बर 376 रकबा 7.04 बीघा कुल 2 किता की 7.08 बीघा आराजी भंवर लाल, श्रीनाथ,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कमला बाई, रामू, सत्यनारायण, घीसीबाई, गीताबाई, पुष्पाबाई के शामलाती खाते में स्थित है इसी प्रकार ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर के माल की नयी खाता संख्या 650 की खसरा नम्बर 373 रकबा 5.17 बीघा आराजी भंवर लाल, श्रीनाथ, कमला बाई, रामू, सत्यनारायण, घीसीबाई, गीताबाई, पुष्पाबाई, कल्याण के शामलाती खाते में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 03.02.2020 से प्रकरण संख्या 685/दावा/2018 खारिज किया व प्रकरण संख्या 779/दावा/2017 स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4— अपील संख्या 2022/50 (28/2020) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निवेदन है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट ने ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ की आराजी के बाबत् दावा पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 7.04 बीघा कुल 2 किता की 7.08 बीघा आराजी स्थित है। उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व में ही वादी के दादाजी श्री लक्ष्मीलाल पुत्र मथुरालाल ने दिनांक 22.01.1919 को नीलामी में खरीद की थी जिसके पुराना खसरा नम्बर 220 की 6.07 बीघा स्थित है, सेटलमेंन्ट के दौरान उक्त आराजी सहवन से लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिसरान मथुरालाल के खाते दर्ज हो गयी। उक्त आराजी नीलामी में केवल लक्ष्मीलाल ने खरीद की थी इसलिए उक्त आराजी केवल लक्ष्मीलाल के खातें दर्ज होनी चाहिए थी। जबकि मदनलाल तो लक्ष्मीलाल का भाई था जिसका नाम खाते में गलत दर्ज हुआ। भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल, कल्याण पुत्र लक्ष्मीलाल, कमला बेवा राजू, शिवचरण अनुसुईया, संतोष बाई, ऊषा, सरला पिसरान श्रीनाथ, ललता बेवा श्रीनाथ लक्ष्मीलाल के वारिस है। लेकिन उक्त आराजी पर अपने दादाजी के समय से ही वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। इसलिए उक्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को सम्पूर्ण खातेदारी व कानूनी अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं प्रतिवादीगण के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये हैं। तभी से ही अपीलान्टस् आराजियात पर बिना रोक टोक के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

5— अपील संख्या 2022/51 (29/2020) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निवेदन है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध हैं, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरित है, जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पाडेन्टस् ने ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ की आराजी के बाबत् दावा पेश किया। जिसमें

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्टगण ने जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 375 व 376 की कुल 7.08 बीघा जिसके पुराना खसरा नम्बर 220 की 6.07 बीघा स्थित थी, वाद की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 5.17 बीघा जिसके पुराना खसरा नम्बर 2366/214, 216 थे। उक्त वर्णित आराजी को लक्ष्मीलाल जी द्वारा सन् 1919 में नीलामी बोली में क्रय की थी, तब से ही उक्त आराजी पर लक्ष्मीलाल जी तथा उनके पश्चात श्रीनाथ जी का तथा उनकी मृत्यु के बाद शिवचरण शर्मा का बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेन्ट द्वारा बिना किसी पूछताछ के मदनलाल का नाम खाते में दर्ज हो गया है। मदनलाल की मृत्यु के बाद वादीगण का नाम खाते में गलत रूप से दर्ज हो गया है। मदनलाल जी करीब 50–60 वर्ष पूर्व कस्बा खानपुर को छोड़कर अपने ससुराल कैथुनी, जिला कोटा में घर जवाई बनकर चले गये तथा स्थायी रूप से निवास करने लगे। 50–60 सालो में कभी भी खानपुर नही आये और ना ही विवादित आराजी को काश्त किया, मदनलाल जी की मृत्यु 20 वर्ष पहले हो चुकी है तथा उनके एक मात्र लडके सत्यनारायण की मृत्यु करीब 7 वर्ष पहले हो चुकी है। मृतक सत्यनारायण द्वारा भी विवादित आराजी बाबत कोई उज्र दावा नहीं किया गया और ना ही आराजी पर कभी काश्त किया। भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल तथा मृतक कल्याण की पत्नि नन्दुबाई भी करीब 50 वर्षों से विवादित आराजी में से अपना हक श्रीनाथ जी के पक्ष में त्यागकर बाहर रहने चले गये जो अपना हिस्सा स्वेच्छा से नहीं लेना चाहते, वाद की मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित आराजी पर हमेशा से ही लक्ष्मीलाल जी उनके बाद श्रीनाथ जी और उनके बाद श्रीनाथ जी के कायममुकाम एवं वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहने के कारण उनके खातेदार अधिकार स्वतः ही खारिज होने योग्य है तथा मृतक श्रीनाथ के कायम मुकाम वारिसान कब्जा मुखलफाना के आधार पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है। तभी से ही अपीलान्टस् आराजियात पर बिना रोक टोक के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

6– अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.05.2024 को हुई । ज़ानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

7– दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीपि समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दौरान बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने घोषणा व बंटवारे का दावा पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी सन् 1919 में सरकार से नीलामी से लक्ष्मीलाल ने खरीदी थी। सैटलमेंट ने गलती से रेस्पोडेंट के नाम भी दर्ज कर दिये। हमने नीलामी के दस्तावेज पेश किये इसलिए सम्पूर्ण आराजी हमारे खाते दर्ज की जाये। अतः अपील स्वीकार की जाये।

9– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सत्यनारायण बनाम श्रीनाथ व शिवचरण बनाम दुष्यंत घोषणा के दो दावे पेश किये तथा शिवचरण बनाम सरपंच की अपील इंतकाल की पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने सत्यनारायण का दावा डिक्री किया तथा शिवचरण का दावा खारिज किया तथा अपील भी खारिज कर दी। श्रीनाथ द्वारा काउंटर क्लेम पेश किया जो खारिज कर दिया। काउंटर क्लेम की अपील भी पेश नहीं की है। वादग्रस्त आराजी मथुरालाल की थी उसके बाद उक्त आराजी उसके दोनों बेटे लक्ष्मी व मदन के नाम दर्ज हुई। सैटलमेंट ने हिस्सा कम/ज्यादा दर्ज किया जिसकी दुरूस्ती का हमने दावा किया था। अपीलांट का कथन है कि मदनलाल का नाम हटाया जाये। सन् 1937 की जमाबंदी में आराजी मथुरालाल के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

10– अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

11– ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

12– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

13– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रदर्श डी–2 सर्टिफिकेट नीलामी दिनांक 22–01–1919 सवंत 1976 आराजी नम्बरी 220 रकबा 6.07 बीघा पर लक्ष्मीलाल वल्द मथरालाल का एवं प्रदर्श डी–3 सर्टिफिकेट नीलामी दिनांक 29.08.1922 सवंत 1979 चाह नं. 220 पर मथरालाल वल्द बाला बक्श का नाम दर्ज है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14— प्रदर्श पी—7 नकल खसरा सेटलमेंट संवत 2020 में खसरा नं. 375 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. कुआ (पूर्व खसरा नं. 220) के कॉलम नं. 23 में नाम कृषक (गत भूमाप) के अनुसार विला नाम दर्ज रिकार्ड है एवं कॉलम नं. 24 में नाम कृषक मय पिता का नाम में लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिता मथुरालाल कोम ब्राह्मण साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खसरा नं. 376 रकबा 7.04 बीघा (पूर्व खसरा नं. 220) में कॉलम नं. 23 में नाम कृषक (गत भूमाप) के अनुसार लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिता मथुरालाल जाति ब्राह्मण साकिन देह दर्ज रिकार्ड है एवं कॉलम नं. 24 में नाम कृषक मय पिता का नाम में लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिता मथुरालाल जाति ब्राह्मण साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श पी—6 नकल सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2028 से 47 के अनुसार खसरा नं. 375 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 376 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिता मथुरालाल जाति ब्राह्मण सा.देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श पी—3 नकल जमाबंदी संवत 2022 से 2025 जो सेटलमेंट पूर्व की है में भी खसरा नं. 220 रकबा 6.07 बीघा लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिता मथुरालाल ब्राह्मण सा. देह दर्ज रिकार्ड है।

15— अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल खाता साबिक 22, खाता हाल 21, खसरा नं. 220 रकबा 6.07 बीघा सवंत 1994, 1995, 1996 व 1997 के अनुसार भी विवादित आराजी लक्ष्मीलाल, मदनलाल पिता मथुरालाल के खाते दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में सलंग्न नीलामी दस्तावेज के अनुसार नीलामी दस्तावेज का राजस्व रिकार्ड में तत्सम्मय अमल से संबंधित कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि संबंधित दस्तावेज में उक्त विवादित आराजी लक्ष्मीलाल के नाम दर्ज हुई हो। नकल जमाबंदी संवत 1994 से 1997 (सन् 1937—40) व नकल सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी संवत 2022 से 2025 प्रदर्श पी—3 के अवलोकन अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 375, 376 सेटलमेंट पूर्व भी मदनलाल, लक्ष्मीलाल पुत्र मथुरालाल के खाते दर्ज रिकार्ड होने से अपीलांट अपील में अंकित इस तथ्य को साबित करने में असफल रहे है कि सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से खाते में मदनलाल का नाम दर्ज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल खाता संवत 1994 से 1997, सेटलमेंट पूर्व नकल जमाबंदी संवत 2022—25, प्रदर्श पी—3 नकल खसरा सेटलमेंट संवत् 2020, प्रदर्श पी—7, नकल सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2028 से 47 प्रदर्श पी—6 के अनुसार मदनलाल, लक्ष्मीलाल पुत्र मथुरालाल का विवादित आराजी खसरा नं. 375 व 376 में 1/2 — 1/2 हिस्सा बनता है।

16— प्रदर्श पी—4 नकल जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 एवं प्रदर्श पी—5 नकल जमाबंदी संवत 2022—2025 के अनुसार खसरा नं. 2366/214, 216 रकबा 3.03 बीघा आराजी मदनलाल पुत्र मथुरालाल व श्रीनाथ पुत्र लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

समभाग दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श पी–7 नकल खसरा सेटलमेंट संवत 2020 में खसरा नं. 373 रकबा 5.17 बीघा के गत खसरा नं. पठनीय नही है, इस खसरे के कॉलम नं. 23 नाम कृषक (गत भूमाप) के अनुसार मदनलाल वल्द मथुरालाल, श्रीनाथ वल्द लक्ष्मीलाल हिस्सा बराबर, लक्ष्मीलाल वल्द मथुरालाल, भंवरलाल वल्द लक्ष्मीलाल दर्ज रेकार्ड है एवं कॉलम नं. 24 में नाम कृषक मय पिता का नाम में मदनलाल वल्द मथुरालाल, श्रीनाथ पुत्र लक्ष्मीलाल, लक्ष्मीलाल वल्द मथुरालाल, भंवरलाल वल्द लक्ष्मीलाल दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–2 नकल सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2028–47 खाता 188 खसरा नं. 373 रकबा 5.17 बीघा मदनलाल पुत्र मथुरालाल, श्रीनाथ पुत्र लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह हिस्सा बराबर, लक्ष्मीलाल पुत्र मथुरालाल, भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह हिस्सा बराबर दर्ज रेकार्ड है। उक्त राजस्व रेकार्ड प्रदर्श पी–4, 5, 7 एवं 2 के अवलोकन से खसरा नं. 2366/214, 216 की आराजी सेटलमेंट पूर्व मदनलाल पुत्र मथुरालाल, श्रीनाथ पुत्र लक्ष्मीलाल के खाते दर्ज रिकार्ड होना स्पष्ट है परंतु नकल खसरा सेटलमेंट 2020 में खसरा नं. 373 के गत् खसरा नम्बर पठनीय नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि खसरा नं. 373 गत् खसरा नं. 2366/214, 216 से बना है यदि खसरा नं. 373 गत् खसरा नं. 2366/214, 216 से बना है तो प्रस्तुत नकल सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2028–2047 प्रदर्श पी–2 में खातेदार मदनलाल पुत्र मथुरालाल, श्रीनाथ पुत्र लक्ष्मीलाल के साथ खातेदार के रूप में लक्ष्मीलाल पुत्र मथुरालाल व भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल का नाम जोडा जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता। खसरा नं. 373 की आराजी के संदर्भ में विधिवत निर्णय करने से पूर्व खसरा नं. 373 के गत् खसरा नं. की जांच होना अपेक्षित है। यदि खसरा नं. 373 गत् खसरा नं. 2366/214, 216 से बना है तो खसरा नं. 373 में भी मदनलाल के वारिसान वादीगण का 1/2 हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड के आधार पर बनता है।

17– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अपील संख्या 2020/00050 व अपील संख्या 2020/00051 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.02.2020 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा नं 13 से 16 में किये गये विवेचन के आधार पर प्रकरण में जांच कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 16/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटो